206

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2442–एक/2015 विरूद्ध आदेश दिनॉक 16–6–15 –पारित व्दारा – आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण क्रमांक 331–अ–6/2013–14 अपील

1– मनीराम पुत्र छकिया ढीमर
ग्राम लाखरोन तहसील मोहनगढ़
2– श्रीमती उमदी पत्नि किशोर ढीमर
ग्राम बहादुरपुर तहसील मोहनगढ़
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– महिला जनकू पुत्री हरजुवा ढीमर
पत्नि परमलाल उर्फ पम्मू ढीमर
ग्राम शॅकरगढ़ तहसील मोहनगढ़
2– महिला भुवानी पुत्री हरजुवा ढीमर
पत्नि लन्जू ढीमर निवासी बहादुरपुर
तहसील मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़
3– महिला सईसा पुत्री हरजुवा ढीमर
पत्नि हीरा ढीमर निवासी बहादुरपुर
हाल ज्योरा गिरार खिरक
तहसील पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ
4– मकुंदी पुत्र हरजुवा ढीमर ग्राम
बहादुरपुर तहसील मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़----अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिंभाषक श्री राजेन्द्र पटेरिया)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री अजय श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 14-9-2017 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 331–अ–6/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 16–6–15 विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक क-1 ने तहसीलदार मोहनगढ़ को आवेदन देकर मांग रखी कि ग्राम बरेठी भाटा की भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 2.508 हैक्टर मृतक हरजुआ के नाम पर थी जिसकी मृत्यु हो चुकी है जिस पर अनावेदकगण का कब्जा दर्ज चला आ रहा है। खातेदार बिनिया पुत्री हरजुआ भी मृत हो चुकी है तथा पटवारी ने बिना सक्षम आदेश के माता विनिया पुत्री हरजुआ का नाम काट दिया है इसलिये रिकार्ड दुरूस्ती की जावे। तहसीलदार मोहनगढ़ ने प्रकरण कमांक 17 अ 6 अ/11-12 पंजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 17-1-13 पारित करके पक्षकारों के नाम हिस्सा बराबर दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी जतारा के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 96/12-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-5-14 से अपील स्वीकार कर नामान्तरण पंजी कमांक 10 पर आदेश दिनांक 12-2-06 से मृतक हरजुआ के फोत होने पर उनके वारिसान के नाम हुये नामान्तरण अनुसार पक्षकारों को सुनवाई का अवसर न देना पाते हुये तहसीलदार का आदेश दिनांक 17-1-13 निरस्त कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्व आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 331-अ-6/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-6-15 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह निर्विवाद है कि ग्राम बरेठी भाटा की भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 2.508 है. पर मृतक हरजुवा के स्थान पर ग्राम की नामान्तरण पंजी

रकबा 2.508 है. पर मृतक हरजुवा के स्थान पर ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 10 पर आदेश दिनांक 12-2-06 से मृतक के वारिसान का नामान्तरण हुआ है जिस पर मुकन्दी पुत्र हरजुवा, जनकू , भुमानीवाई, सईया पुत्रियां हरजुवा का समान भाग पर नामांत्रण हुआ है, जबकि इस नामान्तरण आदेश को अनुविभागीय अधिकारी जतारा के समक्ष महिला जनकू पुत्री हरजुआ ने इस आधार पर चुनौती दी है कि खातेदार विनिया पुत्री हरजुआ के मरने पर तहसीलदार को संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत कार्यवाही करना थी जो नहीं की गई है एंव धारा 115, 116 के अंतर्गत रिकार्ड दुरूस्ती का आदेश गलत दिया गया है। विचार योग्य है कि जब रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27-2-13 से वाद विचारित भूमि महिला उमदी पत्नि किशोरी ने क्रय कर ली है जब क्या राजस्व न्यायालय में विक्रीत हो चुकी भूमि के विक्रय पत्र को अपील में चुनौती देकर विक्रय पत्र को शून्य मानते हुये अपील चलाई जा सकती है। राजस्व न्यायालय को विक्रय पत्र की संदिग्धता/असंदिग्धता की जांच करने की शक्तियॉ प्राप्त नहीं है जिसके कारण विक्रय पत्र के पूर्व की स्थिति कायम करने के अधिकार भी राजस्व न्यायालयों को नहीं है। दुखी पक्षकार व्यवहार न्यायलय से विक्रय पत्र शून्य घोषित कराने हेतु एंव अपना स्वत्व प्रमाणित कराने हेतु स्वतंत्र है किन्तु इन तथ्यों पर अनुविभागीय अधिकारी जतारा व्दारा प्रकरण क्रमांक 96/12-13 अपील में आदेश दिनांक 31-5-14 पारित करते समय तथा आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण क्रमांक 331-अ-6/2013-14 अपील में आदेश दिनांक 16-6-15 पारित करते समय ध्यान न देने की

भूल की है जिसके कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 331-अ-6/2013-14 अपील में आदेश दिनांक 16-6-15 एंव अनुविभागीय अधिकारी जतारा व्दारा प्रकरण कमांक 96/12-13 अपील में आदेश दिनांक 31-5-14 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव तहसीलदार मोहनगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 17 अ-6-अ/11-12 में पारित आदेश दिनांक 17-1-13 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0सिंह

सदस्य